मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय–वल्लभ भवन–भोपाल- 462004

284

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 2016

क्रमांक एफ 17–4/2016/सत्ताईस–एक–मान. उच्च न्यायालय म. प्र. द्वारा याचिका क्रमांक WP 14765/2007 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2008 के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–24/20–2001–ए–10 दिनांक 08.10.2008 से जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एस.एस. झा की अध्यक्षता में सरदार सरोवर फर्जी विक्रय पत्र एवं पुनर्वास स्थल अनियमितता जांच आयोग का गठन किया गया था। उपरोक्त गठित जांच आयोग द्वारा दिनांक 31.12.2015 को अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की कंडिका–4 के अंतर्गत प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं कार्यवाही विवरण दिनांक 29.07.2016 को विधानसभा के पटल पर रखा गया।

2/– राज्य शासन एतद् द्वारा उपरोक्त जांच रिपोर्ट पर निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश देता है:–

जांच का बिन्दु क्रमांक 1 :–

विशेष पुनर्वास पैकेज के अधीन विक्रय पत्रों की फर्जी रजिस्ट्रीयों के संबंध में :–

(अ) जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कुल 993 पूर्णतः फर्जी रजिस्ट्री दर्शायी गई हैं, जिसमें या तो विक्रेता फर्जी था अथवा विक्रीत भूमि अस्तित्व विहीन थी, या शासकीय भूमि थी। इन रजिस्ट्रियों से संबंधित क्रेता, बिक्रेता, गवाह/दलाल के विवरण जांच आयोग के डाक्यूमेंट क्रमांक 2 में दिये गये हैं, यद्यपि डाक्यूमेंट क्रमांक 2 से मिलान करने पर फर्जी विक्रय पत्रों की कुल संख्या 999 होती है।

उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र WP 14765/2007 में दिनांक 03.03.2008 को दिये गये स्थगन को रिक्त कराने का आवेदन मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। स्थगन रिक्त हो जाने के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :–

(i) उन 288 फर्जी रजिस्ट्रियों, जिनमें पूर्व में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाये। यदि इन एफ.आई.आर. में ऐसा कोई नाम छूट गया हो जो डाक्यूमेंट क्र. 2 में संबंधित रजिस्ट्री में दर्ज हो तो उसके संबंध में संबंधित संवितरण अधिकारी/भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त एफ.आई.आर. दर्ज करायेगें।

(ii) डाक्यूमेंट क्रमांक 2 में उल्लेखित शेष फर्जी रजिस्ट्री के क्रेता, विक्रेता गवाह/दलाल के विरूद्ध संबंधित संवितरण अधिकारी/भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा फर्जी रजिस्ट्री होने वाले जिले के संबंधित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जायेगी।

निरंतर 2

285

(ब) इसके अतिरिक्त जांच रिपोर्ट के डाक्यूमेंट क्रमांक 3 में आयोग द्वारा ऐसे 561 दिखावटी विक्रय पत्रों के रजिस्ट्री की जानकारी दी गई है, जिसमें क्रेता, विक्रेता एवं विक्रीत भूमि तीनों वास्तविक हैं परंतु आयोग के मतानुसार इन रजिस्ट्रियों में विक्रीत भूमि का वास्तविक रूप से कोई अंतरण नहीं हुआ है।

संबंधित संवितरण अधिकारी/भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा संबंधित रजिस्ट्री वाले जिले के पुलिस अधीक्षक को डाक्यूमेंट क्रमांक 3 में दर्शित रजिस्ट्री के विवरण उपलब्ध कराये जायेगें। पुलिस अधीक्षक जांच कर जिन विक्रय पत्रों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 423 के तहत विधि सम्मत कार्यवाही संभव हो, उन प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा संबंधित भू-अर्जन तथा पुनर्वास अधिकारियों को समुचित आदेश जारी किये जायें कि कौन से पदाधिकारी किन मामलों में बिन्दु क्र. (अ) एवं (ब) की कार्यवाही करेगें। उक्त कार्यवाही 6 माह की अवधि में पूर्ण की जाये।

2. जांच आयोग द्वारा रिपोर्ट में फर्जी विक्रय पत्रों के निष्पादन में कुल 12 पटवारियों (धार जिले के 11 एवं देवास जिले के 01 पटवारी) की संलिप्तता संदेहास्पद दर्शाई गई है।

अतः राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आदेशित किया जाता है कि संभाग आयुक्त, इंदौर संबंधितों के विरूद्ध जांच रिपोर्ट में सामने आये तथ्यों के प्रकाश में जांच करेंगे एवं दोषी पाये जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अनुसार कार्यवाही करेंगे। जहाँ जांच पश्चात दोषी पटवारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने में अन्य अधिकारी सक्षम हो तो प्रस्ताव उन्हें प्रेषित करेगें जिस पर सक्षम प्राधिकारी कार्यवाही करेगें। उक्त कार्यवाही 6 माह की अवधि में पूर्ण की जायें।

3. आयोग की रिपोर्ट अनुसार भूमि के बदले भूमि की पात्रता रखने वाले कुछ गरीब विस्थापित परिवार भूमि के डूब में आने के कारण अपनी भूमि से बेदखल हो चुके हैं एवं मध्यस्थों के द्वारा धोखाधड़ी कर विशेष पुनर्वास अनुदान के लाभ से भी वंचित हो गये हैं, वे अब दैनिक मजदूरी कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं।

भूमि के बदले भूमि के पात्र एवं विशेष पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने वाले एवं डूब के कारण भूमि से बेदखल हो चुके विस्थापितों की संख्या 319 है जिनके विषय में सामाजिक/आर्थिक परीक्षण किया जायेगा कि इनमें से कितने विस्थापितों के साथ धोखाधड़ी हुई है एवं उनकी जीविकोपार्जन की स्थिति उचित नहीं रह गई है।

उपरोक्त प्रकरणों में संभागीय आयुक्त, इन्दौर के द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाकर उनके विस्थापन के पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति का विवरण राज्य शासन के

निरंतर 3

286

समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इन 319 विस्थापितों की सूची आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर द्वारा संभाग आयुक्त इंदौर को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त कार्यवाही 3 माह मे पूर्ण की जाये।

जांच का बिन्दु क्रमांक 2 :-

पुनर्वास स्थलों पर निर्मित संरचना की गुणवत्ता के संबंध मे :-

(i) पुनर्बसाहट स्थलों के संबंध में आयोग का अभिमत है कि पुनर्वास स्थलों पर निर्मित संरचना में आवश्यक मरम्मत/उन्नयन/रखरखाव संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पुनर्वास स्थलों की निर्मित संरचनाओं मे मरम्मत/उन्नयन/रखरखाव की कार्यवाही की जाएगी। अतः आदेशित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सभी पुनर्वास स्थलों का गहनता से निरीक्षण करायेगा एवं आवश्यक मरम्मत/उन्नयन/रखरखाव हेतु चिन्हित कर निर्धारित कार्य पूर्ण किये जायेगें। यह कार्यवाही एक वर्ष में पूर्ण की जाये।

(ii) जांच आयोग द्वारा पुनर्वास स्थलों में स्थापित कुछ ट्रांसफार्मर अपने स्थान पर नही मिलने तथा एक ही ट्रांसफार्मर का नंबर अनेक जगह उपयोग किये जाने के कारण ट्रांसफार्मर क्रय करने में भ्रष्टाचार की संभावना निरूपित की जाकर पुनः गहन जांच की आवश्यकता निरूपित की गई है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इन्दौर के मुख्य अभियंता तथा नघाविप्रा के मुख्य अभियंता विद्युत/यांत्रिकी की जांच टीम से ट्रांसफार्मर के संबंध में जांच आदेशित की जाती है।

अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी को उपरोक्त जांच हेतु नामित करेंगे। जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को कार्यवाही हेतु प्रेषित करेंगे। यह कार्यवाही 6 माह में पूर्ण की जाये।

जांच का बिन्दु क्र 3 :-

पुनर्वास स्थलों पर भूखंड आवंटन/पुनरावंटन एवं पुनर्वास अनुदान के भुगतान के संबंध में :-

1.(अ) आयोग के द्वारा रिर्पोर्ट के बिन्दु कमांक 3 पैरा कमांक 21 से 23 में ग्राम गांगली, तहसील मनावर, जिला धार के कुछ अवयस्क व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान दिये जाने संबंधी अनियमितता का लेख किया है किन्तु इस प्रकरण में पूर्व से ही शासन की ओर से भुगतान प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जा चुके हैं एवं प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन हैं।

287

इस प्रकरण में न्यायालय के निर्णय उपरांत दोषी पाये गये शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

(ब) आयोग द्वारा रिपोर्ट के बिन्दु कमांक 3 के पैरा कमांक 24 से 27 में ग्राम कवटी तहसील मनावर में 16 व्यक्तियों को त्रुटिपूर्ण पुनर्वास अनुदान दिये जाने का लेख किया है एवं यह निष्कर्ष दिया है कि उक्त भुगतान के लिये प्रथम दृष्टया सरपंच एवं तहसीलदार दोषी हैं।

(स) आयोग ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दु कमांक 3 में पुनर्वास अनुदान भुगतान, पूरक भूअर्जन अवार्ड पारित करना तथा आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं परिवर्तन में अनियमितता किये जाने का लेख करते हुए भूअर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी की भूमिका संदेहास्पद दर्शाई है।

आयोग द्वारा पैरा 24 से 27 तथा 29 से 38 एवं पैरा 48 में जिन मामलों में अनियमितता होना चिन्हित किया है उन सभी मामलों में संभागायुक्त इन्दौर, आयोग की रिर्पोट में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर जांच कर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। यह कार्यवाही 6 माह में पूर्ण की जाये।

2. आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर द्वारा आवासीय भूखण्ड आवंटन एवं पुनर्वास अनुदान सहित विस्थापितों को किये जाने वाले समस्त भुगतान हेतु पारदर्शी प्रकिया का निर्धारण, इप्लेमेंट व्यवस्था एवं समुचित रूप से नस्तियों के संधारण हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे तथा इनका पालन तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा।

3. आवंटित भूखण्डों की अदला–बदली एवं परिवर्तन की अनुमति देने हेतु सिर्फ शिकायत निवारण प्राधिकरण सक्षम होंगे एवं शिकायत निवारण प्राधिकरण की अनुमति के पश्चात् ही ऐसे प्रकरणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5.8.16

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग

निरंतर...5

288

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-4/2016/सत्ताईस-एक भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण, सरदार सरोवर परियोजना भोपाल मध्य प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल ।
6. सचिव, मा. मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
7. संभाग आयुक्त, इंदौर/उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश ।
8. आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर ।
9. अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर ।
10. कलेक्टर, जिला बड़वानी/अलीराजपुर/धार/खरगौन/देवास मध्य प्रदेश ।
11. पुलिस अधीक्षक जिला बड़वानी/अलीराजपुर/धार/खरगौन/देवास मध्य प्रदेश ।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. राज्यमंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) मध्य प्रदेश शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
13. निज सचिव अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
14. मुख्य अभियंता (वि./यां.) एवं (लो.नि.वि.), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
15. आर्डर बुक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5.8.16

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग